PUBLIC NOTICE

(*Under Section 102 (1) & (2) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016*)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF MR. SYED NADEEM ABBAS PERSONAL GUARANTOR OF M/S. SPECTRUM INFOWEB SOLUTION PVT LTD (U72900UR2008PTC032654)

Relevant Particulars		
1.	Name of debtor/personal guarantor	**Mr. Syed Nadeem Abbas**
2.	Address of the debtor/personal guarantor	Flat No. 1103, Block B2, Lotus Pond 2A, Vaibhav Kund, Indrapuram, Ghaziabad-201014
3.	Details of order admitting the application	IA No. 555/2024 in CP (IB) NO. 108/ALD/2024 order dated 30.06.2026 order uploaded on NCLT Portal on 03.07.2026
4.	Particulars of the Resolution Professional with whom claims are to be registered	Mr. Vimal Kumar **IBBI/IPA-002/IP-N00995/2020-2021/13236** **AFA Valid upto: 31.12.2026**
5.	Address and e-mail of the Resolution Professional, as registered with the Board	Address: V-1104, The Hyde Park, Sector 78, Noida, Uttar Pradesh, 201301 Email: maidvimal1@rediff.com
6.	Address and e-mail to be used for correspondence with the Resolution Professional	**Mavent Restructuring Services LLP (IPE)** S-376, Panchsheel Park, New Delhi- 110017 Email: pg.syednadeemabbas@gmail.com
7.	Last date for submission of claims	29.07.2026
8.	Relevant Forms in which claim to be filed available at:	**"FORM B"** **Web link:** https://www.ibbi.gov.in/home/downloads

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal, Allahabad Bench, has ordered the commencement of a Personal Insolvency Resolution Process against Mr. Syed Nadeem Abbas, Personal Guarantor of Spectrum Infoweb Solution Private Limited on 30.06.2026 (Order uploaded on NCLT portal on 03.07.2026).

The creditors of against Mr. Syed Nadeem Abbas, Personal Guarantor of **Spectrum Infoweb Solution Private Limited** are hereby called upon to submit their claims with proof on or before **29.07.2026** to the Resolution Professional at the address mentioned against entry No. 6.

The creditors shall submit their claims with proof by electronic means or by post. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

SD/-

Mr. Vimal Kumar
Resolution Professional in the matter of
Bank of Maharashtra Vs Mr. Syed Nadeem Abbas (Personal Guarantor)
IBBI Regn no.- IBBI/IPA-002/IP-N00995/2020-2021/13236
AFA Valid till 31.12.2026
Email: pg.syednadeemabbas@gmail.com, maidvimal1@rediff.com
Mobile. No: +91 7022034145

Place: New Delhi
Date: 08.07.2026

NEW DELHI TO SUPPLY BRAHMOS, ASTRA MISSILES TO JAKARTA

India, Indonesia step up ties with 14 agreements

FE BUREAU
New Delhi, July 7

INDIA AND INDONESIA on Tuesday announced a series of agreements across steel manufacturing, cross-border digital payment networks, and critical mineral supply chains. India also agreed to supply the BrahMos supersonic cruise missiles and Astra air-to-air missiles to Indonesia.

The corporate and trade push was unveiled in a joint statement issued during Prime Minister Narendra Modi's high-profile state visit to Jakarta from during July 6–8, where he held extensive delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto.

The leaders jointly called for a timely conclusion to the review of the Asean-India Trade in Goods Agreement (AITIGA) to establish a more "balanced, mutually beneficial, and facilitative" trade environment.

A total of 14 agreements were inked between the two sides to enhance cooperation.

The bilateral talks focused heavily on locking in economic synergies between India's 'Viksit Bharat 2047' vision and the 'Indonesia Emas 2045' development roadmap. Modi announced that India will export high-yield, climate-resilient wheat seeds developed by Indian researchers directly to Indonesia to bolster its domestic food security.

The Steel Authority of India (SAIL) has partnered with Indonesia's state-backed PT Krakatau Steel to explore establishing a major stainless-steel slab manufacturing facility in Indonesia. The move is accompanied by a bilateral agreement to collaborate on steel supply chain technologies.

As global manufacturing shifts towards green energy, a tripartite Memorandum of Understanding (MoU) was signed between India's Non-Ferrous Materials Technology Development Centre (NFTDC), Midwest, and Indonesia's PT Perusahaan Mineral Nasional (PERMINAS). The venture will focus on the extraction and processing of rare earths and critical minerals, aimed at securing domestic manufacturing ecosystems.

In a bid to modernise trade infrastructure and lower transaction costs for businesses, the central banks of both countries are aggressively deploying financial technology linkages. The Reserve Bank of India (RBI) and Bank Indonesia are in the advanced stages of operationalising a Cross-Border QR Payment Linkage. The platform is expected to sharply boost transaction efficiencies for MSMEs, commercial tourism, and cross-border students.

The leaders lauded ongoing progress toward implementing Local Currency Transaction (LCT) guidelines to reduce dependencies on third-party currencies like the US dollar. Once fully operational, Indian and Indonesian enterprises will be able to settle trade invoices directly in rupees and rupiah, deepening financial integration and mitigating exchange-rate risks.

FRUITFUL VISIT

- A timely conclusion to the review of the Asean-India Trade in Goods Agreement (AITIGA) was agreed
- SAIL will partner PT Krakatau Steel to explore a stainless-steel slab manufacturing facility in Indonesia
- India also announced that IIM Bangalore will establish an overseas campus in Indonesia
- A tripartite MoU was signed between India's NFTDC, Midwest, and Indonesia's PT Perusahaan Mineral Nasional
- Indonesia also launched the Indonesia Open Network (ION) based on the architecture of India's ONDC

PM Narendra Modi after receiving the Adipura Star of the Republic of Indonesia from President Prabowo Subianto

Gadkari defends E20 fuel rollout

FE BUREAU
New Delhi, July 7

UNION ROAD TRANSPORT and Highways Minister Nitin Gadkari on Tuesday defended the government's mandatory E20 petrol rollout, challenging critics to name a single vehicle in the country which has suffered mechanical issues due to the 20% ethanol-blended fuel.

Speaking at the 'Viksit Bharat Conclave', Gadkari dismissed growing public complaints regarding reduced fuel efficiency and vehicle damage as a coordinated smear campaign.

"There is no case of any car facing issues due to E20 petrol," Gadkari stated. "Has there been any car in the country that faced issues due to the use of E20 petrol? Just name one." He went on to allege that the "false narratives" surrounding the higher ethanol blends are being driven by "paid campaigns."

India has already successfully achieved its target of a 20% ethanol blend—derived from biomass sources like sugarcane, corn, and rice—to create a cleaner-burning fuel.

Gadkari emphasised that transitioning to clean energy is an absolute necessity for the nation, pointing out that India's heavy reliance on fossil fuels inflicts a massive annual economic burden of ₹22 lakh crore on crude oil imports, alongside posing severe environmental hazards.

The minister also highlighted the gains to farmers the policy has brought, particularly after the government permitted ethanol production from corn.

"When we decided to make ethanol from corn, the market price was ₹1,200 per quintal, while the Minimum Support Price (MSP) was ₹1,800 per quintal. Following our decision, the market price of corn surged to ₹2,800 per quintal," Gadkari said, adding that the move injected an additional ₹45,000 crore directly into the pockets of farmers across Uttar Pradesh and Bihar.

Addressing persistent allegations that his push for the biofuel is conflicted by his own family's business interests, Gadkari clarified that while his family members do own sugar factories, their companies are entirely independent of ethanol production.

STICKY POINT

- Gadkari alleged that the 'false narratives' about the ethanol blends are driven by 'paid campaigns"
- India has already successfully achieved its target of a 20% ethanol blend
- He emphasised that transitioning to clean energy is an absolute necessity for the nation

NITIN GADKARI, UNION MINISTER

Has there been any car in the country that faced issues due to the use of E20 petrol? Just name one

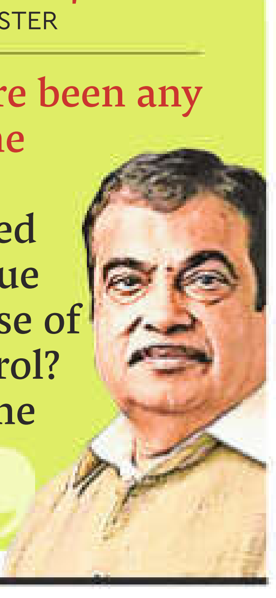

Centre cracks the whip on EV cybersecurity preparedness

- Carmakers told to secure battery communication interfaces

NITIN KUMAR
New Delhi, July 7

THE MINISTRY OF Heavy Industries (MHI) has directed automobile manufacturers to immediately audit battery communication systems, eliminate cybersecurity vulnerabilities and accelerate preparations for upcoming vehicle cybersecurity regulations following reports of a security flaw that could allow unauthorised users to remotely disable moving electric vehicles.

In an advisory issued to the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) and vehicle testing agencies, the ministry asked original equipment manufacturers (OEMs) to review battery communication interfaces, eliminate insecure default settings, strengthen authentication mechanisms and secure over-the-air (OTA) communication pathways. The ministry has also called for closer coordination among the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH), the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), automobile manufacturers and other stakeholders to incorporate cybersecurity safeguards into vehicle design.

Significantly, the advisory asks manufacturers to begin preparing for the rollout of AIS-189 and AIS-190, the proposed vehicle cybersecurity regulations that introduce mandatory Cyber Security Management Systems (CSMS) and Software Update Management Systems (SUMS). The draft notification proposes phased implementation beginning October 1, 2026, requiring manufacturers to secure OTA software updates, strengthen user authentication and validate software integrity.

The advisory follows reports that surfaced on July 1 and 2 claiming that a smartphone application called BAT-BMS was used to unexpectedly shut down moving e-rickshaws by disconnecting the battery's discharge function. According to the ministry, the application, developed by Shenzhen Grenergy Technology, is a legitimate tool for managing Bluetooth-enabled battery systems. However, a critical security vulnerability arises when low-cost lithium battery packs are deployed with factory-default settings, weak passwords or without Bluetooth authentication.

GUARD UP

- The advisory follows reports that an application called BAT-BMS was used to shut down moving e-rickshaws last week

Banks' body can't blacklist lawyers for alleged professional negligence: SC

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, July 7

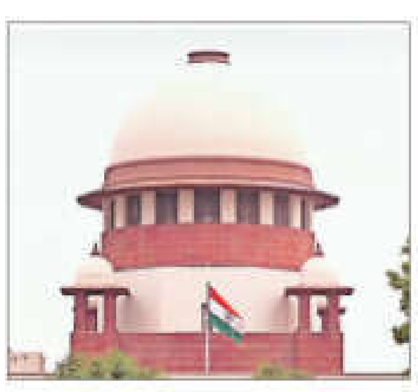

IN A SIGNIFICANT verdict, the Supreme Court on Tuesday held that banks and the Indian Banks' Association (IBA) cannot put the advocates in the 'caution list' merely on allegations of professional negligence.

Reinforcing the independence of the legal profession, a bench of Justices PS Narasimha and Alok Aradhe held that blacklisting lawyers amounted to an impermissible encroachment upon the statutory disciplinary jurisdiction of the Bar Councils.

"We direct the Bar Council of India to constitute a team of senior and junior lawyers as well as experts in the field of establishing academic institutions for considering, discussing and evolving the idea of establishing National Legal Academy (for lawyers).

"We hope and trust the BCI will rise to the occasion and reflect on all these issues and inform the court of its decision," Justice Narasimha, who authored a 41-page judgement, said.

The verdict clarified the scope of judicial review under Article 226 of the Constitution and held that writ petitions are maintainable against the IBA as now the Article is not confined merely to statutory authorities or instrumentalities of the State falling within Article 12 and the expression 'any person or authority' has consistently received a 'wider and more liberal interpretation'.

The judgment rejected the Allahabad High Court's view that a writ petition was not maintainable because the IBA is not 'State' under Article 12.

QUICKPICK

Kamarajar Port becomes India's 2nd major port

KAMARAJAR PORT HAS become India's second major port with 18-metre draft capability, a statement said on Tuesday. Before this, only Visakhapatnam Port had draft of 18 metres. –PTI

Autonomous bodies of govt allowed new NPS schemes

THE GOVERNMENT ON Tuesday said it has extended two additional investment choices under the National Pension System (NPS) to employees of central autonomous bodies covered under the retirement scheme. The government had earlier introduced additional investment choices, namely the Aggressive Life Cycle Fund (LC-75) and Balanced Life Cycle Fund (BLC), for the central government employees covered under NPS. These investment options have now also been extended to NPS subscribers employed in central autonomous bodies (CABs).

In a statement, the Finance Ministry said the expenditure department has extended the applicability of the Department of Financial Services notification dated November 13, 2025, to CAB employees covered under NPS. —PTI

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that Havells India Limited has been accorded Environment Clearance from SEIAA, Uttar Pradesh vide EC Identification No. EC25C3803UP5915900N, Proposal no. SIA/UP/INFRA2/552342/2025 and File No. 10369 dated 13/03/2026 Proposed Havells India Ltd. Research and Development Centre at Plot No. 01B, Sector -161, Noida, Uttar Pradesh by M/s Havells India Ltd. Copies of said Environment Clearance letter is available on the website of Ministry of Environment, Forest and Climate Change at www.parivesh.nic.in

RAUNAQ INTERNATIONAL LIMITED
Regd Office: 20 K.M. Mathura Road, P.O. Amar Nagar, Faridabad-121003 (Haryana)
Tel: +91 (129) 4288888
E-mail: info@raunaqintl.com, **Website:** www.raunaqinternational.com,
CIN: L51909HR1965PLC034315

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 61st Annual General Meeting (AGM) of the members of Raunaq International Limited will be held on **Friday, the 31st July, 2026** at **04:00 P.M.** through Video Conference (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the business set out in the Notice which has already been sent to the shareholders for convening the Annual General Meeting.

In continuation of the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") General Circular No. 20/2020 dated 05th May, 2020 read with General Circular No. 02/2022 dated 05th May, 2022, General Circular No. 10/2022 dated 28th December, 2022, General Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023, General Circular No. 09/2024 dated 19th September, 2024 and General Circular No. 03/2025 dated 22nd September, 2025 in relation to "Clarification on holding of Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM)," **("MCA Circulars")**, the Ministry of Corporate Affairs **("MCA")** has permitted the holding of Annual General Meeting through VC or OAVM without the physical presence of Members at a common venue. In compliance with these MCA Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 **("the Regulations")**, the Annual General Meeting of the Members of the Company will be held through VC/OAVM.

The Notice of the Annual General Meeting along with the Annual Report for the financial year 2025-26 has been sent only by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories and a letter providing the web-link, including the exact path, where complete details of Annual report are available is being sent to all those shareholders who have not registered their e-mail addresses and these documents are also available on the website of the Company under the link: https://www.raunaqinternational.com/pdf/notice-of-61st-agm.pdf and https://www.raunaqinternational.com/pdf/annual-report-2025-26.pdf respectively in accordance with the aforesaid MCA Circular and relevant Circular issued by the Securities and Exchange Board of India **("SEBI")**. The instructions for joining the Annual General Meeting are provided in the Notice of the Annual General Meeting. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purposes of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and further amendments thereto and Regulation 44 of the Regulations, the Company is pleased to provide remote e-voting (voting from place other than venue of AGM) facility to the Shareholders for transacting the business at the above said AGM scheduled to be held on Friday, the 31st July, 2026 at 04:00 P.M. through remote e-voting platform of MUFG Intime India Private Limited (Formerly known as Link Intime India Private Limited) (MIIPL). All the members are informed that (a) the business as set out in the notice of 61st AGM may be transacted by remote electronic voting; (b) the remote e-voting shall commence on 28th July, 2026 at 9:00 A.M.; (c) the remote e-voting shall end on 30th July, 2026 at 5:00 P.M.; (d) the cut-off date for reckoning the rights for remote e-voting is 24th July, 2026; (e) persons who have acquired shares and become members of the Company after sending of Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 24th July, 2026 may obtain the user ID and password by sending a request at rajiv.ranjan@in.mpms.mufg.com or investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com; (f) the remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 P.M. on 30th July, 2026; (g) the members attending the meeting through VC/OAVM who have not casted their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting by casting their votes through electronic means; (h) a member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting; (i) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date 24th July, 2026 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM; (j) the Notice of 61st AGM is available on the Company's website i.e. www.raunaqinternational.com; on the website of the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com and on MIIPL's website https://instavote.linkintime.co.in and (k) for the process and manner of remote electronic voting, members may go through the instructions in the Notice of 61st AGM or visit MIIPL's website https://instavote.linkintime.co.in and in case of queries members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and remote e-voting user manual for members under the Help section of https://instavote.linkintime.co.in or contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Vice President-e-voting, MUFG Intime India Private Limited (Formerly known as Link Intime India Private Limited) (MIIPL), C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, at E-mail ID: enotices@.in.mpms.mufg.com or at telephone no. 022-49186000 who will also address the grievances connected with the electronic voting. Members may also write to the Company Secretary at the above mentioned e-mail ID or Registered Office address.

Process for Registration of email ID and Bank Account details:

In case the shareholder's email ID is already registered with the Company/its Registrar & Share Transfer Agent "RTA"/Depositories, log in details for e-voting are being sent on the registered e-mail address.

In case the shareholder has not registered his/her/their e-mail address with the Company/its RTA/Depositories and or not updated the Bank Account mandate for receipt of dividend, the following instructions to be followed:

(i) Kindly log in to the website of our RTA, MUFG Intime India Private Limited (Formerly known as Link Intime India Private Limited), https://in.mpms.mufg.com under **Investor Services>Email/Bank detail Registration** - fill in the details, upload the required documents and submit.

(ii) In the case of Shares held in Demat mode:
The shareholders may please contact the Depository Participant ("DP") and register the email address and bank account details in the demat account as per the process followed and advised by the DP.

Further details of the above are available on the website of the Company i.e. www.raunaqinternational.com and the Stock Exchange website i.e. www.bseindia.com

For **Raunaq International Limited**
Sd/-
Neha Patwal
Company Secretary and (CFO)

Dated: 07 July, 2026
Place: Faridabad

Form No. INC-26
[Pursuant to Rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]
Before the Regional Director, Northern Region-I

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND

In the matter of **TRINITY GROUP VENTURE LIMITED** having its registered office at A-23, Mandakini Enclave, Alaknanda, New Delhi - 110019.

....Petitioner

NOTICE is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation for alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at an Extra-ordinary General Meeting held on Tuesday, 07th July, 2026 to enable the company to change its Registered Office from the **"State of Delhi" to the "State of Uttar Pradesh".**

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the **MCA-21 portal (www.mca.gov.in)** by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region-I at the address B-2 Wing, 2nd floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at A-23, Mandakini Enclave, Alaknanda, New Delhi - 110019

For and on behalf of the Petitioner
TRINITY GROUP VENTURE LIMITED
Sd/-
Devinder Kumar Jain (Director)
DIN - 00437646
Date: July 07, 2026
Place: New Delhi

PUBLIC NOTICE
(Under Section 102 (1) & (2) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016)
FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF MR. SYED NADEEM ABBAS PERSONAL GUARANTOR OF M/S. SPECTRUM INFOWEB SOLUTION PVT LTD (U72900UR2008PTC032654)
RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of debtor/personal guarantor	**Mr. Syed Nadeem Abbas**
2.	Address of the debtor/personal guarantor	Flat No. 1103, Block B2, Lotus Pond 2A, Vaibhav Kund, Indrapuram, Ghaziabad-201014
3.	Details of order admitting the application	IA No. 555/2024 in CP (IB) NO. 108/ALD/2024 order dated 30.06.2026 order uploaded on NCLT Portal on 03.07.2026
4.	Particulars of the Resolution Professional with whom claims are to be registered	Mr. Vimal Kumar **IBBI/IPA-002/IP-N00995/2020-2021/13236** **AFA Valid upto: 31.12.2026**
5.	Address and e-mail of the Resolution Professional, as registered with the Board	Address: V-1104, The Hyde Park, Sector 78, Noida, Uttar Pradesh, 201301 Email: maidvimal1@rediff.com
6.	Address and e-mail to be used for correspondence with the Resolution Professional	**Mavent Restructuring Services LLP (IPE)** S-376, Panchsheel Park, New Delhi- 110017 Email: pg.syednadeemabbas@gmail.com
7.	Last date for submission of claims	29.07.2026
8.	Relevant Forms in which claim to be filed available at:	**"FORM B"** **Web link:** https://www.ibbi.gov.in/home/downloads

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal, Allahabad Bench, has ordered the commencement of a Personal Insolvency Resolution Process against Mr. Syed Nadeem Abbas, Personal Guarantor of Spectrum Infoweb Solution Private Limited on 30.06.2026 (Order uploaded on NCLT portal on 03.07.2026).

The creditors of against Mr. Syed Nadeem Abbas, Personal Guarantor of Spectrum Infoweb Solution Private Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 29.07.2026 to the Resolution Professional at the address mentioned against entry No. 6.

The creditors shall submit their claims with proof by electronic means or by post. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

SD/-
Mr. Vimal Kumar
Resolution Professional in the matter of Bank of Maharashtra Vs Mr. Syed Nadeem Abbas (Personal Guarantor)
IBBI Regn no.- IBBI/IPA-002/IP-N00995/2020-2021/13236
AFA Valid till 31.12.2026
Email: pg.syednadeemabbas@gmail.com, maidvimal1@rediff.com, Mobile. No: +91 7022034145

Place: New Delhi
Date: 08.07.2026

SHASHANK TRADERS LIMITED
Registered Office: "702-A, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi 110001, India.
CIN: L52110DL1985PLC021076, **Email:** info@shashankinfo.in
Tel: +91 011-43571041-42, **Website:** www.shashankinfo.in

Notice is hereby given to all Shareholders of M/s. Shashank Traders Limited that pursuant to General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 02/2022, 10/2022, 09/2023, 9/2024 and 03/2025 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 08, 2021, December 14, 2021, May 05, 2022, December 28, 2022, September 25, 2023, September 19, 2024, September 22, 2025 and respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2021/11, and SEBI/HODDHS/P/CIR/2022/0063 and SEBI/ HO/CFD/ PoD-2/P/CIR/2023/4 and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022 and January 5, 2023, October 7, 2023 and October 3, 2024 respectively issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as 'SEBI Circulars'), the Company will be conducting its 01/2026-2027 Extraordinary General Meeting (EGM) on Thursday, 30th July, 2026 at 03.00 P.M. (IST) through Video Conferencing (VC) or other Audio Visual Means ('OAVM'), without the physical presence of the Members at a common venue, to transact the businesses that will be set forth in the Notice of 01/2026-2027 EGM. The deemed venue for the Extraordinary General Meeting (EGM) shall be the Registered Office of the Company.

In Compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars, the Electronic copies of Notice of EGM will be sent to all the Shareholders whose E-mail addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent ('RTA') or with Depository Participant ('DP')/ Depository. The Notice of the 01/2026-2027 EGM will also made available on the website of Company i.e. www.shashankinfo.in and the same is also available on the website of the BSE Limited (at www.bseindia.com) and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. The Shareholders will be able to attend and participate in the EGM only through VC /OAVM shall be counted for the purpose of Quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The details for joining the EGM through VC/OAVM has been given in the Notice of 01/2026-2027 EGM to be sent to the Shareholders.

Company requested all the shareholders who have not registered your email address with the Company/RTA or DP/ Depository, please follow below instructions to register your email address for obtaining Notice of EGM and login details for e-voting.

Registration/updating of e-mail addresses :

Physical Holding	Send a request to RTA of the Company i.e. MAS Services Limited at T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area Phase- I, New Delhi - 110020 in duly filed Form No. ISR-1, which can be downloaded RTA's website i.e. www.masserv.com under download tab. You can also send the Form No. ISR-1 with digital signature to RTA's email id investor@masserv.com under copy marked to company at cs.stlcompliance@gmail.com / Info@shashankinfo.in.
Demat Holding	Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address per the process advised by DP.

The Company is providing remote e-voting facility to all its shareholders to cast their vote on all resolutions set out in the Notice of the 01/2026-2027 EGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during EGM (e-voting), detailed procedure for remote e-voting / e-voting during the EGM will be provided in the Notice to the Shareholders.

Joining the EGM through VC/OAVM

Member will be able to attend the EGM through VC/OAVM. The instructions to join the VC/OAVM facility and the manner of participation in the remote e-voting or casting vote through the e-voting system during the EGM are provided in the Notice of the 01/2026-2027 EGM.

By order of the Board
For Shashank Traders Limited
Sd/-
Anil Kumar Singh
Additional Director
DIN: 10860941

Place : New Delhi
Date : 06/07/2026

HINDUSTAN AGRIGENETICS LIMITED
CIN-L01119DL1990PLC040979
Regd. : C- 1/5, Second Floor, Safdarjung Development Area, New Delhi 110016
(Correspondence address: C 63, South Extension Part-II, New Delhi 110 049)
Email: hindustanagrigenetics@gmail.com, **Tel:** +91 98102 73609

Important Notice to Shareholders

SPECIAL WINDOW FOR TRANSFER AND DEMATERIALISATION OF PHYSICAL SECURITIES

Pursuant to Circular No. HO/38/13/11(2)-MIRSD-POD/1/3750/2026 dated January 30, 2026 issued by the Securities and Exchange Board of India, shareholders of Hindustan Agrigenetics Ltd are informed that a special window has been opened from February 05, 2026 to February 04, 2027 for transfer and dematerialisation of physical securities where transfer deeds were executed prior to April 01, 2019, including cases earlier rejected/returned due to deficiencies.

Eligible securities, if found in order, shall be transferred only in demat form to the transferee's demat account and shall remain under lock-in for one year from the date of transfer.

Investors who wish to avail the opportunity are requested to contact our Registrar and Share Transfer Agent, KFIN Technologies Limited, at swati.baireddy@kfintech.com; Contact No: (022) 46170911, Address: Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Telangana, 500032.

For HINDUSTAN AGRIGENETICS LIMITED
Sd/-
RAJENDRA NANIWADEKAR
Managing Director

Place: New Delhi
Date: 08.07.2026

PUBLIC NOTICE
(Under paragraph 21(2) of the Drugs Price Control Order, 2013)

MANKIND LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
208, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi 110020
CIN No.: U24100DL2020PTC369904
Website: www.mankindpharma.com
E-mail: sudhir.agarwal@mankindpharma.com
Phone No.: 011-46846700

Attention of general public is drawn to the fact that M/s Mankind Life Sciences Private Limited

having registered office at aforesaid address is marketing scheduled formulation namely Globugold Infusion 100 ML (**Each vial contains:** Human Immunoglobulin 50 g/L, Maltose 100 g/L, and Water for Injections IP q.s.)(hereinafter referred to as Medicines).

M/s Mankind Life Sciences Private Limited wants to discontinue and stop the marketing of the above said products after a period of six months from the date of this notice.

After discontinuation of the above Medicines, the same may not be available in the market. Therefore, patients using such Medicines may consult their doctor for prescribing alternate medicines. All the Doctors / Medical Personals may also make note of this.

SUDHIR AGARWAL
Deputy GENERAL MANAGER
MANKIND LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED

Date : 08/07/2026
Place : NEW DELHI

फॉर्म नं. आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र-I, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (क) के मामले में
और
मैसर्स फ्रैमर एआई प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 207, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज III, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110020 पर स्थित है, के मामले में

..........याचिकाकर्ता

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "दिल्ली राज्य" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए दिनांक 29.06.2026 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदक कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे अपनी आपत्ति MCA-21 पोर्टल (**www.mca.gov.in**) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा उसके पंजीकृत कार्यालयः 207, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज III, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110020 में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) को उनके पतेः बी-2 विंग, 2 रा तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजेः

कृते और की ओर से
फ्रैमर एआई प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
अरिजित चटर्जी
दिनांकः 08.07.2026 डीआईएनः 07284184
स्थानः दिल्ली निदेशक

Greenlam Industries Limited www.greenlamindustries.com

ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत तथा कारपोरेट कार्यालय : 203, 2' फ्लोर, वेस्ट विंग, वर्ल्डमार्क 1, एरोसिटी, आईजीआई एयरपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट, नई दिल्ली- 110037, भारत
फोनः +91-11-4279-1399; CIN: L21016DL2013PLC386045
ईमेलः investor.relations@greenlam.com; वेबसाइटः www.greenlamindustries.com

13वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, रिकॉर्ड तिथि और ई-वोटिंग जानकारी

यह सूचित किया जाता है कि ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 13वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम, 2013") और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार, सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्रों के साथ पठित, नवीनतम 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्रों के साथ पठित (इसके बाद सामूहिक रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित) **13वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के लेनदेन के लिए बुधवार, 29 जुलाई, 2026 को सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल साधन ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी।** सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना और विशेष रूप से, एजीएम में शामिल होने के निर्देश और रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में मतदान करने के तरीके को ध्यान से पढ़ें। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत गणपूर्ति के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम बुलाने की सूचना 07 जुलाई, 2026 को उन सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी गई है, जिन्होंने कंपनी/कंपनी के रजिस्ट्रार के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत किया है। एक इश्यू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") अर्थात एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले लिंक इंटाइम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)/डिपॉजिटरी और जिनका नाम **3 जुलाई, 2026** के कारोबारी घंटों के समापन पर सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देता है। उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों और अन्य लागू परिपत्रों के अनुसार सदस्यों को उपरोक्त दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां नहीं भेजी जा रही हैं, जब तक कि सदस्यों द्वारा हार्ड प्रतियों के लिए विशिष्ट अनुरोध न किया जाए। इसके अलावा, उन सदस्यों को एक पत्र भेजा जा रहा है जिसमें वेब-लिंक और नेविगेशन पथ प्रदान किया गया है, जहां एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना उनके डीमैट खाते/फोलियो नंबर के खिलाफ पंजीकृत नहीं है। उपरोक्त दस्तावेज (दस्तावेज) भी उपलब्ध हैं और कंपनी की वेबसाइट www.greenlamindustries.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट बीएसई लिमिटेड की www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की www.nseindia.com से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

रिकॉर्ड तिथिः कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अंतिम लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 को रिकॉर्ड तिथि के रूप में तय किया है, यदि एजीएम में घोषित किया जाता है।

एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंगः

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियम") की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, **कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से एजीएम में लेनदेन किए जाने वाले व्यवसायों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है (यानी एजीएम के आयोजन स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करना) और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग और यह कंपनी के इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंट के रजिस्ट्रार एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड [पूर्व में लिंक इंटाइम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता है] ("एमयूएफजी") द्वारा प्रदान किया जाएगा।** सभी सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है किः

ए) कट-ऑफ तिथिः कंपनी के वे सदस्य जिनके पास कट-ऑफ तिथि यानी 23 **जुलाई, 2026 को भौतिक रूप में या डिमैटीरियलाइज्ड रूप में शेयर हैं, वे ही ई-वोटिंग (या तो रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में मतदान) की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।**

बी) रिमोट ई-वोटिंग अवधिः रिमोट ई-वोटिंग अवधि **रविवार, 26 जुलाई, 2026 को सुबह 09:00 बजे शुरू होगी और मंगलवार, 28 जुलाई, 2026 को शाम 5:00 बजे** समाप्त होगी। इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

सी) एजीएम में ई-वोटिंगः ई-वोटिंग की सुविधा उन सदस्यों के लिए भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है और वीसी या ओवीएएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले रहे हैं।

कंपनी के सदस्य, जो भौतिक रूप में या डिमैटीरियलाइज्ड रूप में शेयर रखते हैं, जो उपरोक्त कट-ऑफ तिथि के कार्य घंटों के समापन पर हैं और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाल रहे हैं, वे ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम के दौरान अपना वोट डाल सकते हैं। एक सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन उसे बैठक में फिर से वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ई-मेल पता पंजीकृत/अद्यतन करने का तरीकाः

(ए) भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने कंपनी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे फॉर्म आईएसआर-1 (कंपनी की वेबसाइट www.greenlamindustries.com पर विधिवत भरा और हस्ताक्षरित) को आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ कंपनी के आरटीए, एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, पहली मंजिल, प्लॉट नंबर एनएच 2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058; टेलीफोनः +91-11-49411000; फैक्सः +91-11-41410591; ई-मेलः delhi@in.mpms.mufg.com, वेबसाइटः www.in.mpms.mufg.com जमा करें।

(बी) डीमैटीरियलाइज्ड शेयरों को रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (ओं) के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (ओं) के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट करें जहां वे अपने डीमैट खाते बनाए रखते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से संबंधित किसी भी पूछताछ या शिकायत के लिए, सदस्य सहायता अनुभाग के तहत https://www.instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और इंस्टावोट ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या enotices@in.mpms.mufg.com पर ईमेल लिख सकते हैं या 022- 49186000 पर कॉल या श्री प्रकाश कुमार बिस्वाल, कंपनी सचिव और वरिष्ठ उपाध्यक्ष-कानूनी, 203, दूसरी मंजिल, वेस्ट विंग, वर्ल्डमार्क 1, एयरोसिटी, आईजीआई एयरपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट, नई दिल्ली- 110037 पर investor.relations@greenlam.com पर या + 91-11-42791399 पर संपर्क करें।

कृते ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता/-
प्रकाश कुमार बिस्वाल
दिनांकः 07 जुलाई, 2026 कंपनी सचिव और
स्थानः नई दिल्ली वरिष्ठ उपाध्यक्ष- कानूनी

Mikasa | Mikasa | Mikasa | Mikasa | Mikasa | MFC

Mahindra FINANCE

महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

रजिस्टर्ड ऑफिसः गेटवे बिल्डिंग, अपोलो बंदर, मुंबई- 400 001.
कॉर्पोरेट ऑफिसः बी विंग, तीसरी मंजिल, अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, पिरामल अमिति बिल्डिंग, कामानी जंक्शन, कुर्ला वेस्ट मुंबई- 400070.

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति के लिए) सरफेसी अधिनियम एवं नियमों का नियम 8-(1)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के तहत **महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता **मलिक क्लॉथ हाउस (उधारकर्ता) फरमान और श्रीमती अस्ता (सह-उधारकर्ता) की प्रोपराईटाशिप, को** मांग सूचना दिनांक 15 अप्रैल, 2026 को जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि **रु. 48,34,975/- (रु. अड़तालीस लाख चौतीस हजार नौ सौ पिचहत्तर मात्र) दिनांक 14.04.2026 तक** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 2002 के नियम 9 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **06 जुलाई 2026** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता/ओं तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति (सुरक्षित सम्पत्ति) के साथ कोई भी लेन देन **महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड** के प्रभार वास्ते राशि **रु. 48,34,975/- (रु. अड़तालीस लाख चौतीस हजार नौ सौ पिचहत्तर मात्र) दिनांक 14.04.2026 तक और उस पर ब्याज इत्यादि सहित** के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सूची नं. 1: रिहायशी मकान का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि नगर पालिका संख्या 831/2 का भाग जिसका क्षेत्रफल 100.32 वर्ग मीटर मोहल्ला महमूद नगर, नगर मुजफ्फरनगर, परगना, तहसील एवं जनपद मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश 251001 मे स्थित है। सीमाएँ निम्नानुसार हैं: पूर्व की ओरः श्री नजर का मकान, पश्चिम की ओरः 20 फीट चौडा रास्ता, उत्तर की ओरः श्री नसीम का मकान, दक्षिण की ओरः श्री आजाद का मकान

तिथिः 08.07.2026 हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
सीआईएनः **L65110TN2014PLC097792**
पंजीकृत कार्यालयः केआरएम टावर्स, आठवीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई -600031,
दूरभाषः +91 44 4564 4000 , फैक्सः +91 44 4564 4022

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋणों का लाभ उठाया है। निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋणों को उनके संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किया गया है। जैसा कि वे संबंधित ऋण समझौतों के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए थे, उनके ऋण को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशि पर आगे का ब्याज भी लागू होंगे और उसे उनकी संबंधित तिथियों से संविदात्मक दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा।

क्रं. सं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13(2) सूचना का दिनांक	धारा 13(2) के सूचना के अनुसार बकाया राशि
1.	18264889	गृह ऋण	30.05.2026	26,48,227.36/-

ऋणकर्ताओं और सह-ऋणकर्ताओं के नाम : 1 . सोना शेख 2. शरीफ़ा बीबी शेख़

सम्पत्ति का पताः फ़्लैट नंबर जी-1, (एमआईजी) (सामने की तरफ़) (बिना छत के अधिकारों के) भूतल का सम्पूर्ण हिस्सा एवं अंश और जिसका साइज़ 65.03 वर्ग मीटर यानी 700 वर्ग फ़ीट (कवर्ड एरिया) है। यह प्लॉट नंबर ए-82, ब्लॉक ए पर बना है, जो खसरा नंबर 399 का हिस्सा है और एसएलएफ वेद विहार, हडबस्त ग्राम; सदुल्लाबाद, परगना और तहसीलः लोनी, ज़िलाः ग़ाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102 में स्थित है। सम्पूर्ण प्लॉट की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः प्लॉट नंबर ए-83, पश्चिमः प्लॉट नंबर ए-81, उत्तरः दूसरी ज़मीन, दक्षिणः 9 मीटर चौड़ी सड़क,

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार राशि एवं उनकी संबंधित तिथियों से उस पर अनुबंधित दर पर ब्याज और अन्य लागतों, शुल्कों आदि के साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, जिसके विफल होने पर अधोहस्ताक्षरी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि की वसूली के लिए यहाँ उपरोक्त वर्णित गिरवी संपत्तियों के खिलाफ सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) और धारा 14 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य होंगे। इसके अलावा आपको उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत बिक्री/पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित संपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है।

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी,
दिनांकः 08.07.2026 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तत्कालीन कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड
स्थान : उत्तर प्रदेश के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

SMFG Grihashakti

एस एम एफ जी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट ऑफिसः 503 - 504, 5वां फ्लोर, जी-ब्लॉक, इंस्पिरे बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051.
रजिस्टर्ड ऑफिसः कॉमर्सोन आईटी पार्क, टावर बी, प्रथम फ्लोर, नंबर 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई - 600116, तमिलनाडु

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के अंतर्गत

अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के तहत एस एम एफ जी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (जिसे इसके बाद SMHFC कहा जाएगा) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किया, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए कहा गया है। अधोहस्ताक्षरी का यथोचित विश्वास है कि उधारकर्ता मांग नोटिस की तामील से बच रहा है, अतः नोटिस की तामील नियमानुसार चिपकाकर और प्रकाशित करके की जा रही है। मांग नोटिस की विवरण नीचे वर्णित है:

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या और ऋणकर्ता और सह-ऋणकर्ता का नाम /संपत्ति धारकों का नाम (जैसा भी मामला हो)	बंधक सम्पत्ति का विवरण	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि एवं कुल बकाया राशि
1	लैनः 605439211721260 1. सुहैल कुरैशी 2. आस्मा हाजी राशी पताः पुत्र श्री नफीस कुरैशी, मकान संख्या 82, मिर्जापुर, सेक्टर-12, प्रताप विहार, उत्तर प्रदेश - 201009	आवासीय पुराना मकान सं. 235 एवं नया मकान सं. 248, क्षेत्रफल 133 वर्ग गज अर्थात् 111.20 वर्ग मीटर तथा निर्मित क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर, खसरा सं. 563 एम/1 के भाग पर स्थित, बाग नन्दाहाड़ी, डासना गेट, ग्राम कैला भट्टा, परगना लोनी, तहसील एवं जनपद गाजियाबाद में स्थित है। जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व - मकान सं. 249, राजेश कुमार, पश्चिम - मकान सं. 247, मोहम्मद आलम, उत्तर - 9 फुट चौड़ी गली, दक्षिण - अन्य संपत्ति	17.06.2026 रु. 30,73,476.59 (रुपये तीस लाख तिहत्तर हजार चार सौ छिहत्तर एवं उनसठ पैसे मात्र) दिनांक 13.06.2026 तक एनपीए तिथिः 05.06.2026
2	लैनः 605439211731826 1. राहुल अनिल कुमार 2. रुचि अशोक पताः पुत्र श्री अनिल कुमार, प्लॉट संख्या 78 एवं 79, भूतल, खसरा संख्या 38/22/2, द्वारका विहार, नजफगढ़, दिल्ली - 110043	प्लॉट सं. 81 पर निर्मित ऊपरी भूतल (पिछला भाग), बिना छत के अधिकार सहित, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज (कुल 125 वर्ग गज भूमि में से), खसरा सं. 7/9 के भाग पर, ग्राम ककरोला, की राजस्व सीमा में नई दिल्ली - 110078 भूतल पर सामान्य छोटी कार पार्किंग स्थान तथा लिफ्ट सुविधा सहित। उक्त प्लॉट की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व - गली, पश्चिम - सड़क, उत्तर - अन्य का प्लॉट, दक्षिण - अन्य का प्लॉट	17.06.2026 रु. 27,28,141.68 (रुपये सत्ताईस लाख अट्ठाईस हजार एक सौ इकतालीस एवं अड़सठ पैसे मात्र) दिनांक 13.06.2026 तक एनपीए तिथिः 05.06.2026
3	लैनः 609139512218192 1. गौरव सिंघला (उधारकर्ता) (दिवंगत उधारकर्ता के विधिक उत्तराधिकारी के माध्यम से) अर्चना सिंघला (सह-उधारकर्ता एवं विधिक उत्तराधिकारी) 2. रुद्र सिंघला (नाबालिग) (प्राकृतिक संरक्षक अर्चना सिंघला के माध्यम से) 3. लावण्या सिंघला (नाबालिग) (प्राकृतिक संरक्षक अर्चना सिंघला के माध्यम से) पताः मकान संख्या 3, गली संख्या 3, छलेरा, सेक्टर-44, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201301	संपत्ति, क्षेत्रफल 130 वर्ग गज अर्थात् 108.69 वर्ग मीटर, खसरा सं. 236 ग्राम छलेरा बांगर, परगना एवं तहसील दादरी, जनपद गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व - मूलचन्द का मकान, पश्चिम - छत्तरपाल एवं राजपाल का मकान, उत्तर - 8 फुट चौड़ी सड़क, दक्षिण - छोटू राम का मकान	17.06.2026 रु. 51,76,821.30 (रुपये इक्यावन लाख छिहत्तर हजार आठ सौ इक्कीस एवं तीस पैसे मात्र) दिनांक 13.06.2026 तक एनपीए तिथिः 05.06.2026
4	लैनः 613939211798246 1. मोहम्मद आतिफ 2. फातिमा बेगम पताः पुत्र श्री भूरे खान, ए-2/16, गली संख्या 3, कबीर नगर, गोकलपुर, उत्तर-पूर्वी दिल्ली - 110094	द्वितीय तल, बिना छत के अधिकार सहित, निर्मित संपत्ति सं. ए-1/86, पुराना सं. ए-203 का भाग, जिसका निर्मित फर्श कार्पेट क्षेत्रफल 95.31 वर्ग मीटर (अर्थात् 114 वर्ग गज) है, जो खसरा सं. 934/125 के भाग पर स्थित है, मुख्य टेकला रोड, कबीर नगर की आबादी में तथा ग्राम सिकदरपुर एवं इलाका शाहदरा के क्षेत्र में, दिल्ली-110094 जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व - प्रवेश/20 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिम - अन्य की संपत्ति, उत्तर - अन्य की संपत्ति, दक्षिण - अन्य की संपत्ति	17.06.2026 रु. 52,77,523.68 (रुपये बावन लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ तेईस एवं अड़सठ पैसे मात्र) दिनांक 13.06.2026 तक एनपीए तिथिः 05.06.2026
5	लैनः 613738311710070 एवं 613738011710037 1. अमर कुमार 2. निधि कुमारी पताः पुत्र श्री शशि भूषण सिंह, मकान संख्या 29, खसरा संख्या 606, अशोक विहार, चिपियाना बुजुर्ग, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201001	आवासीय प्लॉट सं. 39, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज अर्थात् 83.61 वर्ग मीटर, खसरा सं. 606 का भाग, अशोक विहार कॉलोनी, ग्रीन रेजिडेंसी के निकट, ग्राम चिपियाना बुजुर्ग (रेलवे लाइन के निकट), परगना एवं तहसील दादरी, जनपद गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व - प्लॉट सं. 45, पश्चिम - 22 फुट चौड़ी सड़क, उत्तर - प्लॉट सं. 40, दक्षिण - मकान सं. 38	17.06.2026 रु. 39,60,111.53 (रुपये उनतालीस लाख साठ हजार एक सौ ग्यारह एवं तिरपन पैसे मात्र) दिनांक 13.06.2026 तक एनपीए तिथिः 05.06.2026
6	लैनः 610839211785696 एवं 610839511794889 1. शिल्पा चौधरी 2. प्रशांत कुमार पताः पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, फ्लैट संख्या 308, तृतीय तल, मेजर हरिश्चंद्र अपार्टमेंट, मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250001	आवासीय फ्लैट सं. 308, तृतीय तल पर स्थित, कवर्ड एवं सुपर क्षेत्रफल 133.3 वर्ग गज अथवा 111.46 वर्ग मी., जो खसरा सं. 79/2 एवं 80 से संबंधित मेजर हरिश्चन्द्र रॉयल अपार्टमेंट्स, राजस्व ग्राम - रोशनपुर डौरली, परगना - दौराला, तहसील - सरधना, जनपद - मेरठ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व - निजी फ्लैट सं. 307, पश्चिम - खुला स्थान, उत्तर - निजी फ्लैट सं. 316, दक्षिण - खुला स्थान	23.06.2026 रु. 34,39,124.95 (रुपये चौंतीस लाख उनतालीस हजार एक सौ चौबीस एवं पंचानवे पैसे मात्र) दिनांक 16.06.2026 तक एनपीए तिथिः 05.06.2026

उधारकर्ता(ओं) को सलाह दी जाती है कि वे मांग सूचना(ओं) का अनुपालन करें और इसमें उल्लिखित मांग राशि और इसके साथ-साथ लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक व्यय का भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर करें। उधारकर्ता(ओं) को ध्यान देना चाहिए कि SMHFC एक सुरक्षित ऋणदाता है और उधारकर्ता(ओं) द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा, उधारकर्ता(ओं) द्वारा गिरवी रखी गई अचल संपत्ति/संपत्तियों के विरुद्ध सुरक्षित ऋण है।

यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो SMHFC अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होगा, जिसमें सुरक्षित संपत्ति(यों) पर कब्जा करना शामिल है, लेकिन यह सीमित नहीं है, जिसमें बिक्री या अन्य उपायों के माध्यम से हस्तांतरण करना शामिल है जो अधिनियम और इसके तहत नियमों के तहत उपलब्ध हैं और भुगतान की वसूली करना। SMHFC को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्ति(यों) को संलग्न करने और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित संपत्ति(यों) की बिक्री के बाद, SMHFC को बकाया राशि की वसूली के लिए अलग कानूनी कार्यवाही शुरू करने का अधिकार भी है, यदि गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य SMHFC को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी भी अन्य कानून के तहत SMHFC को उपलब्ध अन्य सभी उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है। उधारकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर, जो सुरक्षित संपत्तियों को मुक्त करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है, और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके द्वारा उधारकर्ता(ओं) को सुरक्षित संपत्ति(यों) का निपटान करने या SMHFC की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित संपत्ति(यों) में से किसी को भी बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यवसाय के सामान्य क्रम के अलावा) द्वारा हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित/निषेध किया जाता है। उपरोक्त का अनुपालन न करना एक अपराध है जो उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय है। मांग नोटिस की प्रति नीचे हस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता(ओं) यदि वे चाहें तो सामान्य कार्यालय घंटों के दौरान किसी भी कार्यदिवस पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

हस्ता/-
स्थान : दिल्ली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश प्राधिकृत अधिकारी
तिथिः 17.06.2026 / 23.06.2026 एस एम एफ जी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

सार्वजनिक सूचना
(ऋणशोधनाक्षमता एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 102(1) तथा 2 के अंतर्गत)

मैसर्स स्पेक्ट्रम इन्फोवेब सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड (U72900UR2008PTC032654) के व्यक्तिगत गारंटर सैयद नदीम अब्बास के ऋणदाताओं के ध्यानार्थ

प्रासंगिक विवरण

1.	ऋणकर्ता/व्यक्तिगत गारंटर का पता	सैयद नदीम अब्बास
2.	ऋणकर्ता/व्यक्तिगत गारंटर का पता	फ्लैट नं. 1103, ब्लॉक बी2, लोटस पोंड 2ए, वैभव खण्ड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद-201014
3.	आवेदन प्रस्तुति के आदेश के विवरण	आईए नं. 555/2024 इन सीपी (आईबी) नं. 108/एएलडी/2024 आदेश तिथि 30.06.2026 आदेश एनसीएलटी पोर्टल पर 03.07.2026 को अपलोड किया गया था।
4.	समाधान व्यवसायी के विवरण, जिनके पास दावे पंजीकृत किये जाने हैं	श्री विमल कुमार **IBBI/IPA-002/IP-N00995/2020-2021/13236** एएफए वैध है : 31.12.2026 तक
5.	बोर्ड के साथ पंजीकृतानुसार समाधान व्यवसायी का पता और ई-मेल	पता : वी-1104, द हाइड पार्क, सेक्टर 78, नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201301 ई-मेल : **maidvimal1@rediff.com**
6.	समाधान व्यवसायी के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई-मेल	मैवेंट रिस्ट्रक्चरिंग सर्विसेज एलएलपी (आईपीई) एस-376, पंचशील पार्क, नई दिल्ली-110017 ई-मेल : **pg.syednadeemabbas@gmail.com**
7.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	29-07-2026
8.	प्रासंगिक प्रपत्र जिसमें दावा प्रस्तुत किया जाना है, यहाँ उपलब्ध हैं :	**"प्रपत्र बी"** **वेब लिंक : https://www.ibbi.gov.in/home/downloads**

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधिक न्यायाधिकरण, इलाहाबाद पीठ ने 30.06.2026 को स्पेक्ट्रम इन्फोवेब सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर सैयद नदीम अब्बास के विरुद्ध एक व्यक्तिगत ऋणशोधनाक्षमता समाधान प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है (आदेश एनसीएलटी पोर्टल पर 03.07.2026 को अपलोड किया गया था)।

स्पेक्ट्रम इन्फोवेब सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर सैयद नदीम अब्बास के ऋणदाताओं को एतद्द्वारा प्रविष्टि संख्या 6 के सामने उल्लिखित पते पर समाधान व्यवसायी के पास 29.07.2026 को या उससे पहले साक्ष्य के साथ अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

ऋणदातागण, इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से साक्ष्य सहित दावे प्रस्तुत करेंगे।

दावे के झूठे या भ्रामक साक्ष्य प्रस्तुत करने पर दंड लगाया जाएगा।

हस्ता./-
श्री विमल कुमार
बैंक ऑफ महाराष्ट्र विरुद्ध सैयद नदीम अब्बास (व्यक्तिगत गारंटर) के प्रकरण में समाधान व्यवसायी
आईबीबीआई पंजी. सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00995/2020-2021/13236
एएफए वैध है : 31.12.2026 तक
स्थान : नई दिल्ली **ईमेल : pg.syednadeemabbas@gmail.com,**
तिथि : 08-07-2026 **maidvimal1@rediff.com, मोबाइल नं.: 91 7022034145**

फॉर्म-जी के लिए शुद्धिपत्र
(रुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण)

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमों, 2016 के विनियम 36ए के अधीन)

यह शुद्धिपत्र दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के प्रावधानों के तहत कॉरपोरेट दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत **परम रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड** के लिए प्रस्ताव योजनाओं के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करने वाले 19.06.2026 को प्रकाशित फॉर्म जी के संबंध में जारी किया जा रहा है।

लेनदारों की समिति ("सीओसी") के निर्णय के अनुसार, उपर्युक्त फॉर्म जी दिनांक 19.06.2026 में निर्दिष्ट समय-सीमा को संशोधित/विस्तारित किया गया है। तदनुसार, प्रासंगिक तिथियां निम्नानुसार संशोधित हैं:

क्र. सं.	विवरण	फॉर्म-जी दिनांक 19.06.2026 के अनुसार	विस्तारित तिथियां
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति की अंतिम तिथि	04.07.2026	19/07/2026
11.	प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	14.07.2026	29/07/2026
12.	अनंतिम सूची पर आपत्तियों के प्रस्तुतिकरण की अंतिम तिथि	19.07.2026	03/08/2026
13.	प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	29.07.2026	13/08/2026
14.	प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों से सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन सारणी, प्रस्ताव योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	03.08.2026	18/08/2026
15.	प्रस्ताव योजना के प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	02.09.2026	17/09/2026

मूल रूप से प्रकाशित फॉर्म जी की अन्य सभी सामग्री अपरिवर्तित रहती है।

हस्ता/-
श्री खुशविंद्र सिंघल,
मानित प्रस्ताव पेशेवर
परम रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के मामलें में
रजि. नं. IBBI/IPA-002/IP-N00888/2019-2020/12833
आईबीबीआई के साथ पताः मकान नं. 399, सेक्टर 12-ए, पंचकुला, हरियाणा - 134112
स्थानः चंडीगढ़ आईबीबीआई के साथ पंजीकृत ईमेल- kvsinghal@gmail.com
दिनांकः 08.07.2026 पत्राचार के लिए ईमेल- cirp.paramrenewable@gmail.com

---

फार्म नं. आइएनसी-26

[कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 30 के अनुवर्ती]
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
केन्द्रीय सरकार के समक्ष,
उत्तरी क्षेत्र
कंपनीज़ (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 30 के उप नियम (5) के खंड (ए) तथा कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप धारा (4) के विषय में।
तथा
अनमोल रूट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएनः यू70109डीएल2013पीटीसी256769) जिसका पंजीकृत कार्यालय सी-558, ब्लॉक सी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली - 110065, भारत में है

....याचिकाकर्ता

सामान्य जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अपना पंजीकृत कार्यालय **"केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली" से "पश्चिम बंगाल राज्य"** अर्थात दिल्ली और हरियाणा के एक ही आरओसी-एनसीटी के अधिकार क्षेत्र से बदलने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए दिनांक **25 जून, 2026** को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि मांगने के लिए कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केन्द्र सरकार को आवेदन करना प्रस्तावित है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन द्वारा प्रभावित होने वाले कोई व्यक्ति, अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह (14) दिनों के अन्दर **क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली**- 110003 को विरोध के कारण तथा हित की प्रकृति वर्णित करने वाले शपथ-पत्र द्वारा समर्थित आपत्तियों को पंजीकृत डाक द्वारा या कारणों को भेजें या **निवेशक शिकायत प्रपत्र भरने द्वारा एमसीए-21 पोर्टल** (www.mca.gov.in) पर डिलीवर करने के साथ उसकी प्रति याचिकाकर्ता कंपनी के नीचे वर्णित पंजीकृत पते पर भेजनी हैः

अनमोल रूट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड सी-558, ब्लॉक सी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली-110065

हिते एवं कृते
अनमोल रूट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
बिस्वनाथ चौधरी
स्थानः नई दिल्ली निदेशक
दिनांकः 06.07.2026 डीआईएनः 00331136

अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्रों में, स्थानीय भाषा की सामग्री के साथ प्रकाशन सात दिनों के भीतर किया जाना है।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, देहरादून

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (वित्तीय सेवाएँ विभाग)
दूसरी मंजिल, पारस टावर, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून, यूके 248171

मामला सं.: ओए सं. 371/2025 में प्रकाशन सूचना

ऋण वसूली न्यायाधिकरण (विधि) नियमों, 1993, यथा समय समय पर संशोधित, के नियम 5 के उप नियम (2ए) के साथ पठित ऋणों की वसूली और दिवाला शोधन अधिनियम, 1993 की धारा 19 की उप धारा (4) के अधीन समन

डी.वाई. संख्या 564/2026 **दिनांक : 26.05.2026**

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
बनाम
श्री जरनैल सिंह तथा अन्य

प्रति,

1. श्री जरनैल सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह निवासी ग्राम रतनपुरी, पीओ प्रेमनगर, तहसील गदरपुर, जिला- उधम सिंह नगर, उत्तराखंड -263152
2. श्री मलकीत सिंह पुत्र श्री जरनैल सिंह निवासी ग्राम रतनपुरी, पीओ प्रेमनगर, तहसील गदरपुर, जिला- उधम सिंह नगर, उत्तराखंड - 263152
3. श्रीमती परमजीत कौर पत्नी श्री जरनैल सिंह निवासी ग्राम रतनपुरी, पीओ प्रेमनगर, तहसील गदरपुर, जिला- उधम सिंह नगर, उत्तराखंड -263152
4. श्रीमती भीरामा बाई पत्नी श्री भगवान सिंह निवासी ग्राम रतनपुरी, पीओ प्रेमनगर, तहसील गदरपुर, जिला- उधम सिंह नगर, उत्तराखंड -263152
5. श्री हरभजन सिंह पुत्र श्री दयाल सिंह निवासी ग्राम रतनपुरी, पीओ प्रेमनगर, तहसील गदरपुर, जिला- उधम सिंह नगर, उत्तराखंड -2631525

जबकि उपर्युक्त आवेदक बैंक ने आपके खिलाफ 67,39,861.10/- रुपये के ऋण की वसूली के लिए ओए संख्या 371/2025 स्थापित की है, जिसमें माननीय न्यायाधिकरण ने ऋण वसूली और दिवाला शोधन अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के तहत समन/नोटिस जारी किया था और माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष 21.05.2026 पर सूचीबद्ध किया गया था

जबकि, यह न्यायाधिकरण की संतुष्टि के लिए दिखाया गया है कि आपको सामान्य तरीके से सेवा देना संभव नहीं है। इसलिए, यह नोटिस इस प्रकाशन के माध्यम से आपको व्यक्तिगत रूप से या अपने विधिवत अधिकृत एजेंट या कानूनी व्यवसायी के माध्यम से न्यायाधिकरण के समक्ष 07.08.2026 को सुबह 10:30 बजे उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। इसके अलावा, आपको कारण बताने की आवश्यकता है कि ओए में मांगी गई राहत (ओं) को क्यों नहीं दिया जाना चाहिए और यदि कोई हो तो इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर सेट में पेपर बुक फॉर्म में अपने बचाव में जवाब दाखिल करें और उन सभी दस्तावेजों और हलफनामों को प्रस्तुत करें जिनके तहत आपका बचाव या सेट ऑफ के लिए दावा, इस न्यायाधिकरण में व्यक्तिगत रूप से या अपने विधिवत अधिकृत एजेंट या कानूनी व्यवसायी के माध्यम से।

ध्यान दें कि न्यायाधिकरण के समक्ष निर्दिष्ट दिन और समय पर आपकी उपस्थिति में चूक होने की स्थिति में, आपके अनुपस्थिति में मामले की सुनवाई और निर्णय लिया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मुहर के तहत इस तारीख को 26 मई, 2026 को दिया गया।

न्यायाधिकरण के आदेशानुसार
वसूली अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, देहरादून

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (कथित नियम) के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (कथित अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत। कथित नियमों के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल एचएफएल) (पूर्व की इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) के अधिकृत प्राधिकारी ने कथित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सर्जदार(रों) से उन्हें निर्गत संबंधित मांग सूचना(ओं) में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए मांग सूचनाएं निर्गत की हैं। उपर्युक्त के संदर्भ में एतद्वारा कर्जदार(रों) को एक बार पुनः भुगतान की तिथि तक मांग सूचना की तिथि(यों) से भावी ब्याज सहित यहां नीचे उल्लिखित राशियों का इस सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहा जाता है। कर्जदार(रों), मांग सूचना की तिथि तक बकाया राशि और ऋण राशि के पुनर्भुगतान की ओर प्रस्तावित प्रतिभूति का विवरण निम्नलिखित है :-

कर्जदार(रों)/जमानती (यों) के नाम	मांग सूचना की तिथि एवं राशि	प्रतिभूति आस्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण
श्री मनोज शर्मा श्रीमती शोभना शर्मा (प्रॉस्पेक्ट नंबर **IL10083020**)	16-जून-2026, रु. 7,81,118/- (रुपये सात लाख इक्यासी हजार एक सौ अठारह मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग इस प्रकार है: प्लॉट नंबर 26, 27 और 28, दूसरी मंज़िल, सामने बाईं ओर, ब्लॉक-एमएस, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059. क्षेत्रफल (वर्ग फीट में): सम्पत्ति का प्रकारः बिक्री योग्य क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफल। सम्पत्ति का क्षेत्रफलः 639.00, 543.00
श्री दीपक कुमार विश्वकर्मा, श्रीमती खुशबू देवी (प्रोस्पेक्ट नंबर **IL10108810**)	16-जून-2026, रु. 20,11,379/- (रुपये बीस लाख ग्यारह हजार तीन सौ उन्यासी मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग इस प्रकार है: प्लॉट नंबर बी-64 ए, पहली मंज़िल, राम नगर, ओम विहार, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059. क्षेत्रफल (वर्ग फीट में): सम्पत्ति का प्रकारः बिक्री योग्य क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफल। सम्पत्ति का क्षेत्रफलः 450.00, 582.00
श्री रंजीत कुमार राय श्रीमती कुमकुम (प्रोस्पेक्ट नंबर **IL10123654**)	16-जून-2026, रु. 13,26,978/- (रुपये तेरह लाख छब्बीस हजार नौ सौ अठत्तर मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग इस प्रकार है: प्लॉट नंबर ए-16, पहली मंज़िल, खसरा नंबर 67/9, ब्लॉक ए (ओम विहार फेज-V, उत्तम नगर वेस्ट, दिल्ली-110059) क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): सम्पत्ति का प्रकारः बिक्री योग्य क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफल; सम्पत्ति क्षेत्रफलः 360.00, 270.00
श्री सुरेश सिंह रेणु देवी लक्ष्मी ऑर्गेनिक हर्बल वर्ल्ड (प्रोस्पेक्ट नंबर **IL10127492**)	16-जून-2026, रु. 18,74,282.96/- (रुपये अठारह लाख चौहत्तर हजार दो सौ बयासी और छियानवे पैसे मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः प्राइवेट नंबर 4ए और 4बी, दूसरी मंज़िल **D-3**, खसरा नंबर 684 मिन, एक्सटेंडेड लाल डोरा, गांव बुराड़ी, दिल्ली-110084; क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): सम्पत्ति का प्रकारः बिक्री योग्य क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफल; सम्पत्ति क्षेत्रफलः 450.00, 382.00
श्रीमती पूनम देवी पूनम जनरल स्टोर एंड फास्ट फूड श्री मोहन सिंह श्रीमती बसंती देवी (प्रोस्पेक्ट नंबर **L10245117**)	16-जून-2026, रु. 17,02,858/- (रुपये सत्रह लाख दो हजार आठ सौ अट्ठावन मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः खाता नंबर 434, खसरा नंबर 623 में शामिल सम्पत्ति, मौजा अटक फार्म, तहसील विकास नगर, जिला देहरादून, उत्तराखंड-248001 में स्थित; क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): सम्पत्ति का प्रकारः मापा गया क्षेत्रफल; सम्पत्ति क्षेत्रफलः 1214
श्रीमती अनीता रानी अनीता रानी डायर, श्री राधे श्याम (प्रोस्पेक्ट नंबर **IL10316482**)	16-जून-2026, रु. 19,79,472.28/- (रुपये उन्नीस लाख उन्यासी हजार चार सौ बहत्तर और अट्ठाइस पैसे मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः बनी हुई सम्पत्ति नंबर डी-8-बी की तीसरी मंज़िल (छत के अधिकार सहित), खसरा नंबर 336/2 से; गांव बिंदापुर की रेवेन्यू एस्टेट में स्थित (आबादी जिसे सुभाष पार्क कॉलोनी के नाम से जाना जाता है), ब्लॉक-डी, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110019; क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): सम्पत्ति का प्रकारः मापा गया क्षेत्रफल; सम्पत्ति क्षेत्रफलः 450
श्री फली राम मीना श्रीमती कमला देवी (प्रोस्पेक्ट नंबर **IL10482188**)	18-जून-2026, रु. 36,09,014/- (रुपये छत्तीस लाख नौ हजार चौदह मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः यूनिट नंबर 1, बनी हुई सम्पत्ति का सामने का बायां हिस्सा, दूसरी मंज़िल (छत के अधिकार के बिना), टॉवर बी, खसरा नंबर 12/21, गांव कमालपुर माजरा, कमल विहार, बुराड़ी, दिल्ली-110084; क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): सम्पत्ति का प्रकारः मापा गया क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफल; सम्पत्ति क्षेत्रफलः 810.00, 689.00
श्री लालजबाहर यादव श्रीमती नीलू कुमारी इशु किराना स्टोर (प्रोस्पेक्ट नंबर **IL10548608**)	16-जून-2026, रु. 1178932/- (रुपये ग्यारह लाख अठत्तर हजार नौ सौ बत्तीस मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः **DDA** एहर फ्लैट नंबर-2320, 23वीं मंज़िल, ब्लॉक ई1, पॉकिट 1सी, सेक्टर ए17 से ए4, नरेला, दिल्ली 110040. क्षेत्रफल (वर्ग फीट में): सम्पत्ति का प्रकारः बिक्री योग्य क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफल। सम्पत्ति का क्षेत्रफलः 582.00, 269.00
श्री जितेंद्र श्री जतिन श्रीमती पिंकी (प्रोस्पेक्ट नंबर **IL10811579**)	10-जून-2026, रु. 1693878/- (रुपये सोलह लाख तिरानवे हजार आठ सौ अठत्तर मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः प्लॉट नंबर- एच-3, तीसरी मंज़िल, सामने की तरफ, ओम विहार फेज-१, खसरा नंबर-66/13, गाँव हस्तिसाल, उत्तम नगर, दिल्ली 110059. क्षेत्रफल (वर्ग फीट में): सम्पत्ति का प्रकारः मापा गया क्षेत्रफल। सम्पत्ति का क्षेत्रफलः 405
श्री महेश चंद शर्मा, श्रीमती शीला (प्रोस्पेक्ट नंबर **IL10713081**)	18-जून-2026, रु. 2535625/- (रुपये पच्चीस लाख पैंतीस हजार छह सौ पच्चीस मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः प्लॉट नंबर 2, तीसरी मंज़िल, बाईं ओर, छत के अधिकार के साथ, खसरा नंबर 261, गाँव नवादा, कॉलोनी का नाम विपिन गार्डन, गली नंबर बी, नॉर्थ ब्लॉक, उत्तम नगर, नई दिल्ली 110059. क्षेत्रफल (वर्ग फीट में): सम्पत्ति का प्रकारः बिल्ट-अप क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफल। सम्पत्ति का क्षेत्रफलः 540.00, 455.00
श्री मिंटर श्री आदित्य कुमार श्रीमती बबीता (प्रोस्पेक्ट नंबर **IL11007996**)	16-जून-2026, रु. 1300071.24/- (रुपये तेरह लाख इकहत्तर और चौबीस पैसे मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः खसरा नंबर-170 का हिस्सा, मौजा/गाँव सिसोना मुस्तहकम, परगना और तहसील भगवानपुर, ज़िला हरिद्वार 247661 में स्थित सम्पत्ति। क्षेत्रफल (वर्ग फीट में): सम्पत्ति का प्रकारः मापा गया क्षेत्रफल। सम्पत्ति का क्षेत्रफलः 1002
श्री सुरेंद्र नाथ यादव श्रीमती राजमुनि देवी (प्रोस्पेक्ट नंबर **IL11050552**)	18-जून-2026, रु. 2995025/- (रुपये उनतीस लाख पंचानवे हजार पच्चीस मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः सम्पत्ति नंबर 1 और प्लॉट नंबर 339, तीसरी मंज़िल, पीछे की तरफ बाईं ओर, कॉमन छत के अधिकार के साथ, खसरा नंबर 417 और 41, गाँव नवादा माजरा हस्तिसाल। कॉलोनी का नामः मोहन गार्डन, ब्लॉक एल एक्सटेंशन, उत्तम नगर, नई दिल्ली, 110059। क्षेत्रफल (वर्ग फीट में): सम्पत्ति का प्रकारः बिल्ट-अप क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफलः 540.00, 439.00
श्री महेंद्र सिंह श्रीमती बबीता यादव (प्रोस्पेक्ट नंबर **IL11066453**)	10-जून-2026, रु. 2323282/- (रुपये तेईस लाख तेईस हजार दो सौ बयासी मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः प्लॉट नंबर 76ए, दूसरी मंज़िल (पिछला हिस्सा), बिना छत/टेरेस के अधिकार के, खसरा नंबर 25/11, गाँव रजापुर खुर्द, ब्लॉक पी, मोहन गार्डन एक्सटेंशन, उत्तम नगर, नई दिल्ली 110059. क्षेत्रफल (वर्ग फीट में): सम्पत्ति का प्रकारः बिल्ट-अप क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफलः 450.00, 360.00
श्री आलमदार हुसैन ए वन प्लास्टिक, श्रीमती इसरत (प्रोस्पेक्ट नंबर **IL11131694**)	18-जून-2026, रु. 2077809/- (रुपये बीस लाख सतहत्तर हजार आठ सौ नौ मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः फ़्लैट नंबर 131, पहली मंज़िल, ब्लॉक अ, पॉकेट 11, सेक्टर जी7 और जी8, नरेला, दिल्ली, 110040। क्षेत्रफल (वर्ग फीट में): सम्पत्ति का प्रकारः बिल्ट-अप क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफलः 537.00, 382.00
श्री मो. आफताब आलम श्रीमती गुलशेआरा खातून आफताब स्टील वर्क्स (प्रोस्पेक्ट नंबर **L11139347**)	18-जून-2026, रु. 2307474/- (रुपये तेईस लाख सात हजार चार सौ चौहत्तर मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः प्लॉट नंबर 24, सामने का दाहिना हिस्सा, पहली मंज़िल (बिना टेरेस/छत के), मुस्तिल नंबर 17, किला नंबर एस/2, गाँव कमालपुर माजरा बुराड़ी, जिसे अब हरित विहार के नाम से जाना जाता है, दिल्ली, 110084. क्षेत्रफल (वर्ग फीट में): सम्पत्ति का प्रकारः बिल्ट-अप क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफलः 450.00, 331.00
श्री धीरेंद्र कुमार श्रीमती सुधा चौहान (प्रोस्पेक्ट नंबर 939680, 940686)	09-जून-2026, 939680 के लिए रु. 1002215.88/- (रुपये दस लाख दो हजार दो सौ पंद्रह और अठासी पैसे मात्र) और 940686 के लिए रु. 144237.16/- (रुपये एक लाख चवालीस हजार दो सौ सैंतालीस और सोलह पैसे मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः प्लॉट नंबर 22 और 23 पर बना घर, खसरा नंबर 1055. तुलसी विहार कॉलोनी, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201308 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): सम्पत्ति का प्रकारः सम्पत्ति का क्षेत्रफलः 720
श्री शंभु शाह श्रीमती सीता देवी शंभु टी स्टॉल (प्रोस्पेक्ट नंबर 981694, **IL10342374**)	09-जून-2026, 981694 के लिए रु. 130247.00/- (रुपये एक लाख तीस हजार दो सौ सैंतालीस मात्र) और **IL10342374** के लिए रु. 868178.00/- (रुपये आठ लाख अड़सठ हजार एक सौ अठत्तर मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः सम्पत्ति नंबर 24, तीसरी मंज़िल (छत के अधिकार के साथ), खसरा नंबर 5/33, गोपाल पार्क, कृष्णा नगर, खुरेजी खास, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110051 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): सम्पत्ति का प्रकारः सम्पत्ति का क्षेत्रफलः 420
श्री अनिल कुमार गहलोत के एस ट्रेडिंग कंपनी, आर जी ट्रेडिंग कंपनी, श्री प्रवीण गहलोत, श्रीमती संगीता गहलोत, श्रीमती सुस्नमा गहलोत, परवीन गहलोत (प्रॉस्पेक्ट नंबर **IL10953997,984803**)	05-जून-2026, 984803 के लिए रु. 33455951.20/- (रुपये तीन करोड़ चौंतीस लाख पचपन हजार नौ सौ इक्यावन और बीस पैसे मात्र) है और **IL10953997** के लिए राशि रु. 10685642.78/- (रुपये एक करोड़ छह लाख पचासी हजार छह सौ बयालीस और अठत्तर पैसे मात्र) है।	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः प्लॉट नंबर बी-5/2, प्लॉट नंबर बी-5 का हिस्सा, खसरा नंबर 632, 633, 634, 639, 640 और 642, जो नवादा गाँव, नवादा एक्सटेंशन कॉलोनी, उत्तम नगर, दिल्ली-110059 में स्थित है। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): सम्पत्ति का प्रकारः जमीन का क्षेत्रफल। सम्पत्ति का क्षेत्रफलः 5400.00 अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः प्लॉट नंबर 6/2 (जिसे बी-6/2 भी कहा जाता है), खसरा नंबर 932 में से, नवादा माजरा ल्लास्तसाल गाँव, बी-ब्लॉक, ओम विहार कॉलोनी, राम नगर, उत्तम नगर, नई दिल्ली 110059 में स्थित। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): सम्पत्ति का प्रकारः जमीन का क्षेत्रफल। सम्पत्ति का क्षेत्रफलः 1125.00
श्री विनायक सिंह श्रीमती वानाना सिंह (प्रॉस्पेक्ट नंबर **IL10136320**)	16-जून-2026, रु. 1255160.00/- (रुपये बारह लाख पचपन हजार एक सौ साठ मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः यूनिट नंबर टी5-103, टॉवर-टी5, सेक्टर-95, मनिरा होम्स, गुड़गांव, हरियाणा 122001 में स्थित। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): सम्पत्ति का प्रकारः मापा गया क्षेत्रफल। सम्पत्ति का क्षेत्रफलः 643.28
सुश्री शताब्दी चटर्जी, होराइज़न एचआर कंसल्टेंट्स एलएलपी, श्री निसाकर चट्टोपाध्याय, श्रीमती स्निग्धा चटर्जी, (प्रॉस्पेक्ट नंबर **IL10172851**)	10-जून-2026, रु. 1517428.00/- (रुपये पंद्रह लाख सत्रह हजार चार सौ अट्ठाइस मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः यूनिट नंबर 4-1405, बिल्डिंग/टॉवर-4, 14वीं मंज़िल, सिग्नेचर ग्लोबल सुपरबिया, सेक्टर-95, गुड़गांव, हरियाणा-122005 में स्थित। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): सम्पत्ति का प्रकारः कारपेट क्षेत्रफल। सम्पत्ति का क्षेत्रफलः 585.17

यदि कर्जदार उपर्युक्त के अनुसार आईआईएफएल एचएफएल का भुगतान करने में असफल रहते हैं तो आईआईएफएल एचएफएल कथित अधिनियम की धारा 13(4) तथा प्रयोज्य नियमों के तहत कर्जदारों के पूर्ण जोखिम, लागतों तथा परिणामों पर उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। अधिक विवरण के लिए अधिकृत प्राधिकारी से सम्पर्क करें : शाखा कार्यालयः प्लॉट संख्या 30/30ई, ऊपरी भूतल, मुख्य शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, जगुआर शोरूम के पास, मोती नगर, नई दिल्ली या कॉर्पोरेट कार्यालयः आईआईएफएल टावर, प्लॉट नंबर 98, उद्योग विहार, फीज-IV गुड़गांव, हरियाणा।

स्थान : दिल्ली, तिथि : 08.07.2026 ह./- अधिकृत प्राधिकारी कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड